प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : <u>www.rbi.org.in/hindi</u> Website : <u>www.rbi.org.in</u> ई-मेल/email : <u>helpdoc@rbi.org.in</u>





संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,

Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

2 दिसंबर 2024

पर्यवेक्षी प्रतिबंधों को हटाना: नवी फिनसर्व लिमिटेड, बेंगलुरु

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अक्तूबर 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नवी फिनसर्व लिमिटेड, बेंगलुरु (और तीन अन्य एनबीएफसी) को 21 अक्तूबर 2024 के कारोबार की समाप्ति से ऋण की स्वीकृति और संवितरण बंद करने संबंधी निदेश जारी किए थे।

इसके बाद, आरबीआई ने किमयों को दूर करने के लिए कंपनी के साथ कई दौर की बातचीत की। अब, कंपनी की प्रस्तुतियों के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, और संशोधित प्रक्रियाओं, प्रणालियों को अपनाने तथा सतत आधार पर विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से ऋण मूल्य निर्धारण में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी की प्रतिबद्धता को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने नवी फिनसर्व लिमिटेड पर लगाए गए उपरोक्त प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया है।

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1628

(पुनीत पंचोली) मुख्य महाप्रबंधक